

UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN & STUDENT REGARDING COLLEGE & HOSTEL RULES

Hostel Rules छात्रावास के नियम

- Alcohol, Tobacco and any kind of substance of abuse is not allowed in college premises. Defaulter will be liable to fine up to Rs 50,000/-

कॉलेज परिसर में शराब, तंबाकू और किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करने की अनुमति नहीं है। दोषी पाया जाने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जायेगा ।

- The students are responsible for keeping their room, hostel, college campus and surroundings clean. No littering of plastic and other waste is allowed.

छात्र अपने कमरे, छात्रावास, कॉलेज परिसर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए जिम्मेदार हैं। प्लास्टिक और अन्य कूड़ा कचरा करने की अनुमति नहीं है।

- The students shall leave the hostel room in the clean & proper condition as received by them. Expenses for painting of walls, doors etc will have to be borne by students if room is found dirty while leaving the hostel.

छात्रों को छात्रावास के आवंटित कमरे को खाली करते समय स्वच्छ और यथास्थिति में सुपुर्द करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी। यदि छात्रावास से बाहर निकलते समय कमरा गंदा पाया जाता है तो दीवारों, दरवाजों आदि की पेंटिंग के लिए खर्च छात्रों को वहन करना होगा।

- Loud music (audible to more than a distance of 2 meters) is not allowed at any point of time.

तीव्र संगीत (2 मीटर से अधिक दूरी के लिए श्रव्य) की किसी भी समय अनुमति नहीं है।

- All the students residing in hostel must be in their rooms by 10 PM and mark night attendance daily without fail. They are not allowed to leave the hostel premises after 10 PM.

छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों को रात्रि कालीन उपस्थिति रात 10 बजे तक रजिस्टर में दर्ज करनी आवश्यक है । छात्रों को रात 10 बजे के बाद छात्रावास परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है।

- No vendor/outside food is allowed inside the hostel after 10 PM.

हॉस्टल के अंदर 10 बजे के बाद किसी भी वेंडर / बाहर के खाने की अनुमति नहीं है।

- Cooking is not allowed in the hostel room.

छात्रावास के कमरे में खाना पकाने की अनुमति नहीं है।

- If a hosteller wishes to keep room heater, A.C, Cooler etc. prior written permission to be taken from competent authority. Electricity charges will be charged as per rules.

यदि कोई हॉस्टल रूम में हीटर, A.C, कूलर आदि रखना चाहता है, तो सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। नियमानुसार बिजली शुल्क लिया जाएगा।

- Written prior intimation has to be given before leaving the hostel and going home; on weekends, holidays or due to personal reasons.

सप्ताहांत, छुट्टियों या व्यक्तिगत कारणों के कारण छात्रावास छोड़ने और घर जाने से पहले लिखित पूर्व सूचना दी जानी है।

- Mess rules are to be followed strictly by all students.

सभी छात्रों को मेस के नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

- Wastage of electricity, water, food is not allowed. Leaving fan, A.C etc on in room while attending classes in college is liable to fine up to Rs 10,000/-.

बिजली, पानी, भोजन की बर्बादी की अनुमति नहीं है। कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान कमरे में चालू पंखे, A.C आदि को छोड़ना दंडनीय है, दोषी पाया जाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जायेगा।

- Guests are not allowed to stay in the hostel room. In exceptional circumstances, parents can stay with son/daughter with prior permission.

मेहमानों को छात्रावास के कमरे में रहने की अनुमति नहीं है। असाधारण परिस्थितियों में, माता-पिता पूर्व अनुमति के साथ बेटे / बेटी के साथ रह सकते हैं।

Other College / Campus rules अन्य कॉलेज / कैम्पस नियम

- No religious function is allowed inside the campus.

परिसर के अंदर किसी भी धार्मिक समारोह की अनुमति नहीं है।

- Pets are not allowed in the college premises.

कॉलेज परिसर में पालतू जानवरों को अनुमति नहीं है।

- Entry/Exit from campus is not allowed after :
8 PM (From March to August),
6 PM (From September to February)
Written permission needs to be taken from competent authority in case of any unavoidable circumstances/emergency.

परिसर से प्रवेश / निकास की अनुमति नहीं है:

शाम 8 बजे (मार्च से अगस्त तक),

शाम 6 बजे (सितंबर से फरवरी तक)

किसी भी अपरिहार्य परिस्थितियों / आपातकाल के मामले में सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी।

- Decent attire must be worn by all students at all times whether in classroom, mess or while roaming around in the campus.

कक्षा, मेस या परिसर में घूमते समय, हर समय सभी छात्रों द्वारा सभ्य पोशाक पहनी जानी चाहिए।

- Driving license holders can keep their four/two wheelers with prior permission and undertaking by parents. Those having two wheelers, both driver & pillion rider must wear helmet without which entry/exit from the campus will not be allowed.

ड्राइविंग लाइसेंस धारक छात्र अपने माता-पिता द्वारा पूर्व अनुमति के साथ अपने चार / दो पहिया वाहन रख सकते हैं। जिन लोगों के पास दो पहिया वाहन हैं, ड्राइवर और सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जिसके बिना परिसर से प्रवेश / निकास की अनुमति नहीं होगी।

Library: Reading room timing लाइब्रेरी: पढ़ने का समय

Girls/Boys: 8 AM to 9:30 PM. लड़कियों / लड़कों: सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक।

- Open in Holidays also

छुट्टियों में भी खुलेगा ।

- Books issue timing (2 PM to 4 PM)

पुस्तकें जारी करने का समय (दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक)

➤ Other library rules are available in library

अन्य पुस्तकालय नियम पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

I have read and understood the rules.

मैंने सभी नियमों को पढ़ा और समझा है।

I agree to abide by them failing which I shall be liable to disciplinary action as decided by the competent authority.

मैं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने में दोषी पाये जाने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

Student's Name & Signature

छात्र का नाम और हस्ताक्षर

Parent/Guardian's Signature

अभिभावक / अभिभावक का हस्ताक्षर

दिनांक :-